प्रकरण नाम 94/2021
सीसीएमएस नंबर 2021/99
पूसाराम बनाम छेलाराम वगैरह

:: आदेश ::

त वादीगण का दावा अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार मौजा नोसरिया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 40 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 4 से 9 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा लदार जायल से प्राप्त आदेश पत्रांक 5 दिनांक 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार र किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया है।

1. वादी संख्या 1 पूसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर में से 2.2268 दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 हड़मान के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर में से 2.2257 माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 छेलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर व 1.2546 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 शोभाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर में से 0.3237 व 1.9021 हैक्टेयर कुल 2.2258 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. खेत खसरा नंबर 40 रकबा 9.1216 हैक्टेयर में से 0.2185 हैक्टेयर संयुक्त रास्ते के प्रयोग हेतु संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 से 9 क्रमश सुखाराम,संवरी, गोगा, चूका, सरजू , सम्पू के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि प्रतिवादी सुखाराम वृद्ध है एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का हक नगदी,जेवरात तथा अन्य सामान देकर पूर्ति कर दी गई तथा इन्होंने अपने हक का त्याग कर दिया है इसलिये इनके बंट में कोई भूमि नहीं रखी गयी है।

नोट–खसरान् जो केसीसी के कारण बैंक रहन है, संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2021....... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर इजलास सुनाया गया।

08/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner